

धनबाद । कोलाकुशमा । 12 । पिंकी कुमारी		
खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
249	3902	0 एकड़ 3.3 डिसमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली
------------	-------------	------------------------

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2019-2020)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष (2016-2017)	२ रा वर्ष (2017-2018)	१ ला वर्ष (2018-2019)	
माल (नकदी)	2.50		2.50	2.50	2.50	2.50
गुजारी (भावली)	0.62		0.62	0.62	0.62	0.62
सेस	.....					
सूद	1.25		1.25	1.25	1.25	1.25
मुतफरकात	1.25		1.25	1.25	1.25	1.25
मीजान	0.50		0.50	0.50	0.50	0.50
	<b>6.12</b>		<b>6.12</b>	<b>6.12</b>	<b>6.12</b>	<b>6.12</b>

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबत	तीन वर्ष से ज्यादा	बकाया			मोतालबा हाल (2019-2020)	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष (2016-2017)	२ रा वर्ष (2017-2018)		
माल (नकदी)			2.50	2.50	2.50	
गुजारी (भावली)			0.62	0.62	0.62	
सेस	.....					
सूद	.....		1.25	1.25	1.25	
मुतफरकात	.....		1.25	1.25	1.25	
मीजान अदायकारी			0.50	0.50	0.50	
			<b>6.12</b>	<b>6.12</b>	<b>6.12</b>	

(१) मीजान कुल (लफजों में) : **Twenty Four Rupees and Fourty Eight Paise**

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- **24.48**

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : **17-08-2019**

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

धनबाद । कोलाकुशमा । 12 । पिंकी कुमारी		
खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
589	3903	0 एकड़ 0.6 डिसमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली
------------	-------------	------------------------

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2019-2020)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष (2016-2017)	२ रा वर्ष (2017-2018)	१ ला वर्ष (2018-2019)	
माल (नकदी)	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00
गुजारी (भावली)	0.25		0.25	0.25	0.25	0.25
सेस	.....					
सूद	0.50		0.50	0.50	0.50	0.50
मुतफरकात	0.50		0.50	0.50	0.50	0.50
मीजान	0.20		0.20	0.20	0.20	0.20
	<b>2.45</b>		<b>2.45</b>	<b>2.45</b>	<b>2.45</b>	<b>2.45</b>

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबत	तीन वर्ष से ज्यादा	बकाया			मोतालबा हाल (2019-2020)	फाजिल
		३ रा वर्ष (2016-2017)	२ रा वर्ष (2017-2018)	१ ला वर्ष (2018-2019)		
माल (नकदी)		1.00	1.00	1.00	1.00	
गुजारी (भावली)		0.25	0.25	0.25	0.25	
सेस	.....					
सूद	0.50		0.50	0.50	0.50	
मुतफरकात	0.50		0.50	0.50	0.50	
मीजान अदायकारी	0.20		0.20	0.20	0.20	
	<b>2.45</b>	<b>2.45</b>	<b>2.45</b>	<b>2.45</b>	<b>2.45</b>	

(१) मीजान कुल (लफजों में) : **Nine Rupees and Eighty Paise**

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- **9.80**

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : **17-08-2019**

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

# DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 150969140319032539

Date : 14-03-2019

प्रभावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री PINKI KUMARI C/O RAJU RAWANI,

मोहल्ला KUNJ BIHAR KOLA KUSMA, SARAIHELDA, DHANBAD DHANBAD , 9906140323  
DHANBAD , 826001

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0230003919000M0 वार्ड सं. 23 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	59.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		59.00



नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, [www.jharkhandsuda.net](http://www.jharkhandsuda.net) पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होल्डिंग नंओं का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

